



DB 358416

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-महराजगंज।
द्वितीय पक्ष श्री गोपेश्वर यादव पुत्र जगदीश यादव (श्रीमती मधु सिंह)
(सेवा प्रदाता) ग्राम-सुरौली, पोस्ट-मझगावा, जनपद-देवरिया। वाहन संख्या- UP 56 D 1829

- यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा स्पोर्टिव सुपरविजन के संचालन हेतु निविदा दिनांक 21.3.2016 के अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2017 से अग्रिम आदेश तक मान्य होगी।
- 1- द्वितीय पक्षकार जिला-महराजगंज के आवंटित सामु/प्रा0स्वा0 केन्द्रों में स्पोर्टिव सुपरविजन वाहनो को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।
- A- सेवा प्रदाता प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था स्पोर्टिव सुपरविजन के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माहन के अन्तर्गत आएगा। रू0 25000/- प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराएगा।
- B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।
- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
 - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
 - वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
 - दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
- C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि होना अनिवार्य है।
- D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान

स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0-300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित
का अधिकार होगा।

पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 5000.00 की
धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध
समाप्त करने पर या अनुबन्ध अविध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस
करनी होगी।

- 3- स्पोर्टिव सुपरविजन के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर
विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय
चिकित्सालयो में सूचना पट्ट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक
कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।
- 4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा
जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश
दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा
अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे
आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
- 5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध
लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए
नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा।
द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता
अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह
सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे।
ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने
का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
- 6- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक वाहन उपलब्ध
करेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण
उपलब्ध के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा
द्वितीय पक्ष के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।
अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल
द्वितीय पक्ष के अन्दर ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह
अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है,
एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15
दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त
की जा सकती है।

स्थान-महराजगंज।

प्रथम पक्ष

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
मुख्य चिकित्साधिकारी

नािसस
कमराज

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी

जीपीएस यादव

प्रतिहस्ताक्षर

मुख्य चिकित्साधिकारी

मंज



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 358402

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-महराजगंज।

द्वितीय पक्ष श्री रक्षानाथ सिंह पुत्र श्री यमुना सिंह

(सेवा प्रदाता) ग्राम-बरवा जंगल, पोस्ट-दिलीप नगर, जनपद-कुशीनगर। वाहन संख्या- UP 52 M 0810

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा स्पोर्टिव सुपरविजन के संचालन हेतु निविदा दिनांक 21.3.2016 के अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2017 से अग्रिम आदेश तक मान्य होगी।

1- द्वितीय पक्षकार जिला-महराजगंज के आवंटित सामु/प्रा0स्वा0 केन्द्रों में स्पोर्टिव सुपरविजन वाहनो को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था स्पोर्टिव सुपरविजन के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माहन के अन्तर्गत आएगा। रू0 23500/- प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराएगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि होना अनिवार्य है।

हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0-300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 5000.00 की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अविध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।
- 3- स्पोर्टिव सुपरविजन के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयो में सूचना पट्ट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।
- 4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाईल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
- 5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
- 6- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- 7- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महाराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 8- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान-महाराजगंज।

प्रथम पक्ष

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
मुख्य चिकित्साधिकारी

ना 500
महाराजगंज

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी

प्रति हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्साधिकारी
महाराजगंज

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIAN NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 251553

22 MAR 2017

प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-महराजगंज।

द्वितीय पक्ष

श्री संदीप कुमार मौर्य पुत्र कदम लाल मौर्य

(सेवा प्रदाता)

ग्राम-जंगल झझवा, पीपीगंज, जनपद-गोरखपुर। वाहन संख्या- UP 53 CT 2475

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा स्पोर्टिव सुपरविजन के संचालन हेतु निविदा दिनांक 21.3.2016 के अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2017 से अग्रिम आदेश तक मान्य होगी।

द्वितीय पक्षकार जिला-महराजगंज के आवंटित सामु/प्रा0स्वा0 केन्द्रों में स्पोर्टिव सुपरविजन वाहनो को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था स्पोर्टिव सुपरविजन के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माहन के अन्तर्गत आएगा। रू0 23500/- प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराएगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि होना अनिवार्य है।

D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान

संदीप कुमार मौर्य

की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0-300.00 का दर स अथदण्ड अधिरापर
का अधिकार होगा।

- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 5000.00 की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अविध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।
- 3- स्पोर्टिव सुपरविजन के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।
- 4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
- 5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
- 6- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लगबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा। अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल चिकित्सा निदेशालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान-महराजगंज।

प्रथम पक्ष

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज

R
मिस
महाराजगंज

द्वितीय पक्ष

सदीप कुमार शर्मा
वाहन स्वामी

प्रति हस्ताक्षर

23.2.18
मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 355844

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-महराजगंज।
द्वितीय पक्ष श्री त्रिलोकी प्रसाद पुत्र श्री रामचन्दर (आनन्द कुमार भारती पुत्री विश्वास प्रसाद)
(सेवा प्रदाता) ग्राम-रामकोला, जनपद-कुशीनगर। वाहन संख्या- UP 57 K 1133

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा स्पोर्ट्स सुपरविजन के संचालन हेतु निविदा दिनांक 21.3.2016 के अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2017 से अग्रिम आदेश तक मान्य होगी।

- 1- द्वितीय पक्षकार जिला-महराजगंज के आवंटित सामु/प्रा0स्वा0 केन्द्रों में आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना वाहनो को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।
- A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था स्पोर्ट्स सुपरविजन के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माहन के अन्तर्गत आएगा। रू0 23500/- प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराएगा।
- B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।
- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
 - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
 - वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
 - दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
- C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि होना अनिवार्य है।
- D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान

त्रिलोकी प्रसाद

की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0-300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित
अधिकार होगा।

- 1- प्रथम पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 5000.00 की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अविध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।
- 3- स्पोर्टिव सुपरविजन के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना संबंधी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।
- 4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा मोबाईल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
- 5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
- 6- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- 7- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महाराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 8- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान-महराजगंज।

प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी

श्री श्री पुसाद

25/11/17

25/11/17

मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DP 419266

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-महराजगंज।
द्वितीय पक्ष श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री रमाशंकर गुप्ता

(सेवा प्रदाता) ग्राम-राजीव नगर महराजगंज, जनपद-महराजगंज वाहन संख्या- UP 56 T 6474
यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा

स्पोर्टिंग सुपरविजन के संचालन हेतु निविदा दिनांक 21.3.2016 के अनुबन्ध की अवधि
दिनांक 01.04.2017 से अग्रिम आदेश तक मान्य होगी।

द्वितीय पक्षकार जिला-महराजगंज के आवंटित सामु/प्रा0स्वा0 केन्द्रों में आशीर्वाद बाल
स्वास्थ्य गारण्टी योजना वाहनो को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।
A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था स्पोर्टिंग सुपरविजन के अन्तर्गत
राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माहन के अन्तर्गत आएगा। रू0
23500/- प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराएगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि होना अनिवार्य है।

D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक
वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान

- करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0-300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
- 2- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 5000.00 की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अविध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।
 - 3- **स्पोर्ट्स सुपरविजन** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना संबंधी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।
 - 4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
 - 5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
 - 6- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।
 - 7- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महाराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
 - 8- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान-महाराजगंज।

प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्साधिकारी/मोबाइल
महाराजगंज/अधीक्षक

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी

विनोद कुमार शुक्ल

25/5/17

प्रतिहस्ताक्षर

25/5/18
मुख्य चिकित्साधिकारी

एस० पी० एम० यू० एम० एच० एम०
पत्रांक 14,293 दिनांक 26/02/18

324

39

प्रषक,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद-महराजगंज।

सेवा में,

महाप्रबन्धक
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
एस० पी० एम० यू०
उ० प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-मु०चि०अ०/मगंज/वाहन/2017-18/2092

दिनांक 23/02/2018

विषय-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु बजट डिमाण्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस० पी० एम० यू०/एन० एच० एम०/एम० एण्ड ई०/2017-18/01/11838-75 दिनांक 15.02.2018 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु ब्लाक स्तर पर सपोर्टिव सुपरविजन के 12 वाहन एवं जनपद स्तर पर 02 वाहन हेतु कुल 14 वाहनों के अनुबन्ध की छाया प्रति प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए वाहनों की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित की जा रही है।

| District-Maharajganj | | | | | | | |
|---|------------------|--|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Supportive Supervision Vehicle Hiring (Block Wise) Information 2017-18 | | | | | | | |
| S.N. | Name of Division | Name of District | Name of Block | Vehicle No | Date of Hiring | Agreement copy attached | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Gorakhpur | Maharajganj | Nichlaur | UP-52-F-4832 | 1/4/2017 से अग्रिम आदेश तक | attached | |
| 2 | | | Mithura | UP-56-W-0206 | 1/4/2017 से अग्रिम आदेश तक | attached | |
| 3 | | | Ghughuli | UP-56-T-5894 | 1/4/2017 से अग्रिम आदेश तक | attached | |
| 4 | | | Bahadani | UP-56-T-5821 | 1/4/2017 से अग्रिम आदेश तक | attached | |
| 5 | | | Ratanpur | UP-56-T-5811 | 1/4/2017 से अग्रिम आदेश तक | attached | |
| 6 | | | Dhani | UP-56-T-5814 | 1/4/2017 से अग्रिम आदेश तक | attached | |
| 7 | | | Farenda | UP-56-T-5814 | 1/4/2017 से अग्रिम आदेश तक | attached | |
| 8 | | | Launipur | UP-56-T-5818 | 1/4/2017 से अग्रिम आदेश तक | attached | |
| 9 | | | Sadar | UP-56-T-4591 | 1/4/2017 से अग्रिम आदेश तक | attached | |
| 10 | | | Siswa | UP-56-D-1829 | 1/4/2017 से अग्रिम आदेश तक | attached | |
| 11 | | | Partawal | UP-52-M-0810 | 1/4/2017 से अग्रिम आदेश तक | attached | |
| 12 | | | Paniyara | UP-53CT-2475 | 1/4/2017 से अग्रिम आदेश तक | attached | |
| Supportive Supervision Vehicle Hiring (District Level) Information 2017-18 | | | | | | | |
| S.N. | Name of District | Name of Agreement Signing Officer | Vehicle No.1 | Date of Hiring | Vehicle No.2 | Date of Hiring | Agreement copy attached |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Maharajganj | 1-मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद-महराजगंज। 2-डा० राजेन्द्र प्रसाद, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर० सी० एच० जनपद-महराजगंज। | UP-57-K-1133 | 1/4/2017 से अग्रिम आदेश तक | UP-56-T-6474 | 1/4/2017 से अग्रिम आदेश तक | attached |

इसी क्रम में आपको अगवत कराना है कि माह अगस्त 2017 से माह मार्च 2018 तक कुल आठ माह का 14 वाहनों हेतु धनराशि रू० 3696000.00 (रू० छत्तीस लाख छियाच्चे हजार मात्र) धनराशि की आवश्यकता है।

rc (mlc) / Shikha

26/2/18

Updated

अतः आपसे अनुरोध है कि जनपद-महराजगंज को सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 14 वाहनों का 08 माह के भुगतान हेतु धनराशि रू0 3696000.00 (रू0 छत्तीस लाख छियान्चे हजार मात्र) अवमुक्त करने की कृपा करें।

लघनक-उपरोक्तानुसार।

R,
Haw.

भवदीय

मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज।

तद्दिनांकित।

पत्रांक-मु0चि0अ0/मगंज/वाहन/2017-18/
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0, जनपद-महराजगंज।
3. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, जनपद-महराजगंज।

मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



HUNDRED RUPEES

ONE HUNDRED

10 OCT 2012

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DP 426445

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-महराजगंज।

द्वितीय पक्ष श्री अजय पाण्डेय पुत्र हरी प्रसाद

(सेवा प्रदाता) ग्राम-बरगदवा, नगर पं० निचलौल, जनपद-महराजगंज। वाहन संख्या- UP 52 F4832

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा स्पोर्टिव सुपरविजन के संचालन हेतु निविदा दिनांक 21.3.2016 के अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2017 से अग्रिम आदेश तक मान्य होगी।

1- द्वितीय पक्षकार जिला-महराजगंज के आंवटित सामु/प्रा०स्वा० केन्द्रों में स्पोर्टिव सुपरविजन वाहनो को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था स्पोर्टिव सुपरविजन के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति वाहन के अन्तर्गत आएगा। रू० 23500/- प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराएगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि होना अनिवार्य है।

(Handwritten signature)

जब हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0-300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 5000.00 की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अविध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

- 3- स्पोर्टिव सुपरविजन के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयो में सूचना पट्ट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।
- 4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
- 5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
- 6- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- 7- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महाराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 8- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान-महाराजगंज।

प्रथम पक्ष

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी / जो 1500th महाराजगंज

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी

प्रति 8 एला 2018


मुख्य चिकित्साधिकारी
महाराजगंज

भारतीय गैर न्यायिक

के सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

31 AUG 2017

महराजगंज-70

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DP 415113

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-महराजगंज।

द्वितीय पक्ष श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह, पुत्र स्व० रक्षानाथ सिंह

(सेवा प्रदाता) ग्राम-बरवा जंगल पोस्ट-दिलीप नगर, जनपद-कुशीनगर। वाहन संख्या- UP 56 W 0206

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा स्पोर्टिव सुपरविजन के संचालन हेतु निविदा दिनांक 21.3.2016 के अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2017 से अग्रिम आदेश तक मान्य होगी।

1- द्वितीय पक्षकार जिला-महराजगंज के आंवटित सामु/प्रा०स्वा० केन्द्रों में स्पोर्टिव सुपरविजन वाहनो को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था स्पोर्टिव सुपरविजन के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति वाहन के अन्तर्गत आएगा। रु० 23500/- प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराएगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि होना अनिवार्य है।

D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान

Gajendra Pratap Singh

जिन की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0-300.00 की दर से अथदण्ड अधेरापत अधिकार होगा।


द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 5000.00 की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अविध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।


- 3- स्पोर्टिव सुपरविजन के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना संबंधी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।
- 4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा मोबाईल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
- 5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
- 6- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- 7- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महाराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 8- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान-महाराजगंज।


प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्साधिकारी


मुख्य चिकित्साधिकारी



द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी


मुख्य चिकित्साधिकारी
महाराजगंज



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 360045

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-महाराजगंज।

द्वितीय पक्ष श्री संजय पुत्र सलहन्त

(सेवा प्रदाता) ग्राम-भरवलिया, घुघुली महाराजगंज, जनपद-महाराजगंज। वाहन संख्या- UP 56 T 5814

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा स्पोर्टिव सुपरविजन के संचालन हेतु निविदा दिनांक 21.3.2016 के अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2017 से अग्रिम आदेश तक मान्य होगी।

1- द्वितीय पक्षकार जिला-महाराजगंज के आवंटित सामु/प्रा0स्वा0 केन्द्रों में स्पोर्टिव सुपरविजन वाहनो को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था स्पोर्टिव सुपरविजन के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति वाहन के अन्तर्गत आएगा। रू0 23500/- प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराएगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि होना अनिवार्य है।

संजय सिंह

जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक इन् उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0-300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

- 2- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 5000.00 की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अविध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।
- 3- **स्पोर्टिव सुपरविजन** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।
- 4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
- 5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर, अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
- 6- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- 7- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महाराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 8- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान-महाराजगंज।

प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्साधिकारी (निस) 362/2018
महाराजगंज

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी

प्रतिह स्वा. शा. 11/12/18

संजय पार्क

मुख्य चिकित्साधिकारी
महाराजगंज



DB 361046

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-महराजगंज।
द्वितीय पक्ष श्रीमती बन्दना उपाध्याय पत्नी राकेश उपाध्याय
(सेवा प्रदाता) ग्राम-पुरन्दरपुर सोनबरसा, तहसील-नौतनवा, जनपद-महराजगंज वाहन संख्या- UP 56 T 5820
- यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा स्पोर्टिव सुपरविजन के संचालन हेतु निविदा दिनांक 21.3.2016 के अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2017 से अग्रिम आदेश तक मान्य होगी।
- द्वितीय पक्षकार जिला-महराजगंज के आवंटित सामु/प्रा0स्वा0 केन्द्रों में स्पोर्टिव सुपरविजन वाहनो को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।
- A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था स्पोर्टिव सुपरविजन के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माहन के अन्तर्गत आएगा। रू0 23500/- प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराएगा।
- B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।
- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
 - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
 - वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
 - दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
- C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि होना अनिवार्य है।
- D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान

इसने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0-300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित
का अधिकार होगा।

- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 5000.00 की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अविध पुरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।
- 3- स्पोर्टिव सुपरविजन के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयो में सूचना पट्ट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।
 - 4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाईल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
 - 5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्य नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
 - 6- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।
 - 7- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महाराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।
 - 8- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान-महाराजगंज।

प्रथम पक्ष

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
मुख्य चिकित्साधिकारी
महाराजगंज

1/11/2018
अनुबन्ध

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी
कन्वन्त उपाध्यक्ष

प्रति हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्साधिकारी
महाराजगंज



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 139312

- प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-महराजगंज।
द्वितीय पक्ष श्री रामकेस जायसवाल पुत्र असर्फी जायसवाल
(सेवा प्रदाता) ग्राम-नन्दभार पोस्ट-खजुरिया, जनपद-महराजगंज। वाहन संख्या- UP 56 T 1807
यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा
स्पोर्टिव सुपरविजन के संचालन हेतु निविदा दिनांक 21.3.2016 के अनुबन्ध की अवधि
दिनांक 01.04.2017 से अग्रिम आदेश तक मान्य होगी।
द्वितीय पक्षकार जिला-महराजगंज के आवंटित सामु/प्रा0स्वा0 केन्द्रों में स्पोर्टिव
सुपरविजन वाहनो को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।
A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था स्पोर्टिव सुपरविजन के अन्तर्गत
राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माहन के अन्तर्गत आएगा। रू0
23500/- प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराएगा।
B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।
 - वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
 - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
 - वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
 - दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि होना अनिवार्य है।

रामकेस जायसवाल

जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0-300.00 की दर से अर्धदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 5000.00 की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अविध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

- 3- **स्पोर्टिव सुपरविजन** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयो में सूचना पट्ट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।
- 4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा मोबाईल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
- 5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
- 6- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- 7- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महाराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 8- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान-महाराजगंज।

प्रथम पक्ष

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
मुख्य चिकित्साधिकारी

प्रतिष्ठित
मुख्य चिकित्साधिकारी
महाराजगंज

द्वितीय पक्ष

वाहन स्वामी

राजेश कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 133971

- प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-महराजगंज।
द्वितीय पक्ष श्री परमानन्द जायसवाल पुत्र रामदास जायसवाल
(सेवा प्रदाता) ग्राम-शाहाबाद थाना रोड बृजमनगंज, तहसील-फरेन्दा जनपद-महराजगंज। वाहन संख्या- UP 53 CT 8004
यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा
स्पोर्टिव सुपरविजन के संचालन हेतु निविदा दिनांक 21.3.2016 के अनुबन्ध की अवधि
दिनांक 01.04.2017 से अग्रिम आदेश तक मान्य होगी।
द्वितीय पक्षकार जिला-महराजगंज के आंवटित सामु/प्रा0स्वा0 केन्द्रों में स्पोर्टिव
सुपरविजन वाहनो को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।
A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था स्पोर्टिव सुपरविजन के अन्तर्गत
राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति वाहन के अन्तर्गत आएगा। रू0
23500/- प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराएगा।
B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।
• वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
• वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
• वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
• दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं
उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव
इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि होना अनिवार्य है।

परमानन्द जायसवाल

अनुबन्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0-300.00 की दर से अर्धदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 5000.00 की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अविध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

- 3- स्पोर्टिव सुपरविजन के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयो में सूचना पट्ट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।
- 4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा मोबाईल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
- 5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
- 6- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- 7- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महाराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 8- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान-महाराजगंज।

प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्साधिकारी
महाराजगंज

प्रतिभूत

मुख्य चिकित्साधिकारी
महाराजगंज

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी

परमानन्द जाय (19/10)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 139095

- प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-महराजगंज।
द्वितीय पक्ष श्री गौरीशंकर मालवी पुत्र श्यामबिहारी मालवी
(सेवा प्रदाता) ग्राम-वार्ड नं०-03 विकास नगर आनन्दनगर, जनपद-महराजगंज। वाहन संख्या- UP 56 L 1666
यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा
स्पोर्टिव सुपरविजन के संचालन हेतु निविदा दिनांक 21.3.2016 के अनुबन्ध की अवधि
दिनांक 01.04.2017 से अग्रिम आदेश तक मान्य होगी।
द्वितीय पक्षकार जिला-महराजगंज के आवंटित सामु/प्रा०स्वा० केन्द्रों में स्पोर्टिव
सुपरविजन वाहनो को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।
द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था स्पोर्टिव सुपरविजन के अन्तर्गत
राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति वाहन के अन्तर्गत आएगा। रू०
23500/- प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराएगा।
- B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।
- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
 - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
 - वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
 - दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
- C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि होना अनिवार्य है।
- D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान

गौरी शंकर मालवी

करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0-300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 5000.00 की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अविध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

- 3- स्पोर्टिव सुपरविजन के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना संबंधी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।
- 4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
- 5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
- 6- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- 7- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महाराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 8- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान-महाराजगंज।

प्रथम पक्ष

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
मुख्य चिकित्साधिकारी
महाराजगंज

प्रतिहस्ताक्षरित

मुख्य चिकित्साधिकारी

श्री शंकर प्रताप सिंह

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 357973

- प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-महराजगंज।
द्वितीय पक्ष श्री अमीरुल्लाह खां पुत्र तपसीर अली
(सेवा प्रदाता) ग्राम-एकमा पोस्ट-लक्ष्मीपुर, जनपद-महराजगंज। वाहन संख्या- UP 56 T 5468
यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा
स्पोर्टिव सुपरविजन के संचालन हेतु निविदा दिनांक 21.3.2016 के अनुबन्ध की अवधि
दिनांक 01.04.2017 से अग्रिम आदेश तक मान्य होगी।
द्वितीय पक्षकार जिला-महराजगंज के आवंटित सामु/प्रा0स्वा0 केन्द्रों में स्पोर्टिव
सुपरविजन वाहनो को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।
A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था स्पोर्टिव सुपरविजन के अन्तर्गत
द्वितीय पक्षकार को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति वाहन के अन्तर्गत आएगा। रू0
23500/- प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराएगा।
B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।
• वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
• वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
• वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
• दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं
उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव
इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि होना अनिवार्य है।
D- नियमंति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक
वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान

अमीरुल्लाह खां

जि स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0-300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित
अधिकार होगा।

- प्रथम पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 5000.00 की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अविध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।
- 3- स्पोर्टिव सुपरविजन के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना संबंधी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।
- 4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
- 5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
- 6- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- 7- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महाराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 8- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान-महाराजगंज।

प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्साधिकारी
महाराजगंज

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी

प्रतिहस्ताक्षर

मुख्य चिकित्साधिकारी
महाराजगंज



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DP 419702

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-महराजगंज।

द्वितीय पक्ष श्री रामवृक्ष पुत्र बल्लू प्रसाद

(सेवा प्रदाता) ग्राम-नन्दभार पोस्ट-खजुरिया, जनपद-महराजगंज। वाहन संख्या- UP 56 T 4591

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा स्पोर्टिव सुपरविजन के संचालन हेतु निविदा दिनांक 21.3.2016 के अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2017 से अग्रिम आदेश तक मान्य होगी।

1- द्वितीय पक्षकार जिला-महराजगंज के आवंटित सामु/प्रा0स्वा0 केन्द्रों में स्पोर्टिव सुपरविजन वाहनो को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था स्पोर्टिव सुपरविजन के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोड़कर जो लगभग 25 दिन प्रति माहन के अन्तर्गत आएगा। रू0 23500/- प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराएगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि होना अनिवार्य है।

D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान

रामवृक्ष

स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0-300.00 की दर से अर्धदण्ड अधिरोपित
कराया जाएगा।

सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 5000.00 की
रकम जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध
अनुबन्ध पर या अनुबन्ध अविध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस
कराया जाएगा।

स्पोर्टिव सुपरविजन के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर
विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय
चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना संबंधी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक
कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

- 4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध कराएगा
जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश
दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा
अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे
आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
- 5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध
लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए
नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा।
द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता
अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह
सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे।
ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने
का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
- 6- एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक वाहन उपलब्ध
करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण
एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा
10 दिवस के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- 7- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल
महराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 8- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह
अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है,
एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15
दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त
की जा सकती है।

स्थान-महराजगंज।

प्रथम पक्ष

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
मुख्य चिकित्साधिकारी

/HISDA
अधीक्षक

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी

प्रति हस्ताक्षर

रामरक्षा

मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज